

राजस्थान सरकार

निदेशालय स्थानीय निकाय, राज0 जयपुर

क्रमांक 5779-5969

दिनांक 30-11-17

आयुक्त/अधिशायी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद/पालिकाएं,
समस्त राजस्थान।

विषय:-सेवा निवृत्त कार्मिको की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने के संबंध में आवश्यक निर्देश।

-----00-----

कार्मिक(क-2) विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.17 (10) डीओपी/ए-11/94/जयपुर दिनांक 11.07.2017 के द्वारा सेवा निवृत्त कार्मिको की सेवाएं संविदा के आधार पर लेने हेतु आवश्यक निर्देश जारी किये हुये है। राज्य की नगर निकायो में काफी संख्या में पद रिक्त होने के कारण निकाय के कार्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड रहा है। अतः कार्य को सुचारु रूप से सम्पादित किये जाने हेतु उपरोक्त परिपत्रानुसार (11.07.2017) राज्य की नगर निकायो में स्पष्ट रूप से रिक्त (केडर वाईज) 50 प्रतिशत पदो पर सेवा निवृत्त कार्मिको को संविदा के आधार पर एक वर्ष के लिए रखने हेतु नगर निकाये स्वतंत्र है, इसकी निदेशालय स्तर से स्वीकृति की आवश्यकता नही है।

उक्त 50 प्रतिशत पदो के अतिरिक्त शेष रिक्त पदो को आवश्यकतानुसार नगर निकाय की आर्थिक स्थिति के अनुसार ऐजेन्सी के माध्यम से संविदा पर रखा जा सकता है।

(पवन अरोडा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

दिनांक 30-11-17

क्रमांक 5970-6001

प्रतिलिपि सुचनार्थ एवं आवश्य अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- 1.निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज0।
- 2.निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज0।
- 3.निजी सचिव, निदेशक/अतिरिक्त निदेशक, निदेशालय।
- 4.समस्त अधिकारीगण निदेशालय।
- 5.समस्त उप निदेशक(क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय, राजथान।
- 6.जनसम्पर्क अधिकारी, निदेशालय।
- 7.सुरक्षित पत्रावली।

(मुकेश कुमार मीणा)

अतिरिक्त निदेशक